न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 708/2019

1. गुरजण्टसिंह पुत्र रूपसिंह जाति कारीगर साकिन चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।
2. कुलविन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह जाति कारीगर साकिन चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।
3. राजू पुत्र रूपसिंह जाति कारीगर साकिन चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

—वादीगण

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र जगरसिंह जाति कारीगर निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1	श्री चिमनलाल दुआ अधिवक्ता	वादीगण
2	श्री त्रिलोकचन्द चायल अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय **दिनांक : 31/10/19**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 3 एलएलजी मे खाता संख्या 66/65 मे 0.327 हैक्टे बारानी, खाता संख्या 158/154 मे 1.644 हैक्टेयर बारानी चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 90/76 मे 1.096 हैक्टेयर बारानी व खाता संख्या 87/81 मे 0.466 हैक्टेयर नहरी रकबा दर्ज कागजात पटवार माल है। जो विरासतन है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विरासतन रकबा को लेकर एक घरू बंटवारा हुआ था और मुताबिक बंटवारा वादीगण संख्या 1 ता 3 चक 3 एलएलजी मे खाता संख्या 66/65 मे 0.327 हैक्टैयर ब.हि.ब. चक 3 एलएलजी मे ही खाता संख्या 158/154 मे 1.138 हैक्टैयर बारानी ब.हि.ब. चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 90/76 मे 1.096 हैक्टे.बारानी ब.हि.ब. व चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 87/81 मे 0.466 हैक्टैयर नहरी ब.हि.ब. रकबा पर काबिज है। वादीगण अपने कब्जा काश्त के रकबा की घोषणा अपने हक मे करवाने के कानूनी अधिकारी है। अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा की जावे कि वादीगण संख्या 1 ता 3 चक 3 एलएलजी मे खाता संख्या

1.138 हैक्टैयर बारानी ब.हि.ब. चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 90/76 मे 1.096 हैक्टे.बारानी ब.हि.ब. व चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 87/81 मे 0.466 हैक्टैयर नहरी ब.हि.ब. रकबा के ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार है। चक 3 एलएलजी मे खाता संख्या 66/65 मे 0.327 हैक्टैयर चक 3 एलएलजी मे ही खाता संख्या 158/154 मे 1.138 हैक्टैयर बारानी चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 90/76 मे 1.096 हैक्टे.बारानी व चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 87/81 मे 0.466 हैक्टैयर नहरी रकबा से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे ।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री त्रिलोक चन्द चायल अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत कर ईकबालदावा पेश किया कि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने की इस्तदूआ की गयी। वाद का विरोध नही होने के कारण कोई तनकीयात कायम नही की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार की सदस्य एवं पिता पुत्र है। वादीगण एव प्रतिवादी के मध्य घरूबंटवारा पूर्व मे हो चुका है तथा वादीगण एव प्रतिवादी ने एक दूसरे की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है। इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्यों, ईकबाल कथनो व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति मे वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादीगण संख्या 1 ता 3 को चक 3 एलएलजी मे खाता संख्या 66/65 मे 0.327 हैक्टैयर ब.हि.ब., चक 3 एलएलजी मे ही खाता संख्या 158/154 मे 1.138 हैक्टैयर बारानी ब.हि.ब., चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 90/76 मे 1.096 हैक्टे.बारानी ब.हि.ब. व चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 87/81 मे 0.466 हैक्टैयर नहरी ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चक 3 एलएलजी मे खाता संख्या 66/65 मे 0.327 हैक्टैयर, चक 3 एलएलजी मे ही खाता संख्या 158/154 मे 1.138 हैक्टैयर बारानी, चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या

हैक्टैयर नहरी रकबा से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/10/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर सादुलशहर

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 708/2019

1. गुरजण्टसिंह पुत्र रूपसिंह जाति कारीगर साकिन चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।
2. कुलविन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह जाति कारीगर साकिन चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।
3. राजू पुत्र रूपसिंह जाति कारीगर साकिन चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

——वादीगण

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र जगरसिंह जाति कारीगर निवासी चक केरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

——प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू मेरे बहाजरी श्री चिमनलाल दुआ अधिवक्ता वादीगण व श्री त्रिलोक चायल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादीगण संख्या 1 ता 3 को चक 3 एलएलजी मे खाता संख्या 66/65 मे 0.327 हैक्टैयर ब.हि.ब., चक 3 एलएलजी मे ही खाता संख्या 158/154 मे 1.138 हैक्टैयर बारानी ब.हि.ब., चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 90/76 मे 1.096 हैक्टे.बारानी ब.हि.ब व चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 87/81 मे 0.466 हैक्टैयर नहरी ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चक 3 एलएलजी मे खाता संख्या 66/65 मे 0.327 हैक्टैयर, चक 3 एलएलजी मे ही खाता संख्या 158/154 मे 1.138 हैक्टैयर बारानी, चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 90/76 मे 1.096 हैक्टे.. बारानी व चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 87/81 मे 0.466 हैक्टैयर नहरी रकबा से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक ....31/10/19.... को जारी की गई।